Regarding a policy of flexible working hours for women - laid

श्री भोला सिंह (बुलंदशहर): भारत में, अपनी क्षमताओं, शिक्षा और योग्यता के बावजूद, विभिन्न सांस्कृतिक बाधाओं के कारण महिलाएं कार्यबल में प्रवेश करने में असमर्थ हैं। सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व नाममात्र का है। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) रिपोर्ट के अनुसार, 2021-22 के दौरान महिलाओं के लिए अनुमानित श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) 32.8% थी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 के अनुसार, भारत 146 देशों में से 135वें स्थान पर है। श्रम और रोजगार मंत्रालय अमृत काल में 2047 के लिए अपना दृष्टिकोण तैयार कर रहा है। प्रधान मंत्री ने 2022 में श्रम मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन में अपने संबोधन के दौरान इस बात की वकालत की है कि भविष्य में लचीले कार्यस्थलों, पारिस्थितिकी तंत्र और लचीले कार्य घंटे और घर से काम करने की आवश्यकता है। हम लचीले कार्यस्थलों जैसी प्रणालियों का उपयोग महिलाओं की श्रम शक्ति भागीदारी के अवसरों के रूप में कर सकते हैं। सरकार को विभिन्न नीतिगत हस्तक्षेपों और विशेष प्रावधानों के माध्यम से कार्यबल में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए ठोस प्रयास करने की तत्काल आवश्यकता है। मैं माननीय श्रम एवं रोजगार मंत्री से कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए लचीले कार्य घंटों के लिए एक विस्तृत नीति पेश करने का अनुरोध करता हूं।